खण्डपीठ क्रमांक-21

09-09-17

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत मे इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0। आरोपीगण, सहित अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र

श्रीवास्तव उप0।

फरियादी चन्द्रभान उप0।

फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री प्रवीण

गुप्ता द्वारा की गयी है।

आज दिनांक को उभयपक्षों द्वारा द.प्र.स. की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा पेश कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी है।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी रामवीर एवं थानसिंह पर भा0द0स0 की धारा 294, 323, एवं 506 भाग दो तथा आरोपी सूबासिंह पर भा0द0स0 की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग दो के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हे। आरोपीगण पर आरोपित आरोप न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य हैं। फरियादी चन्द्रभानसिंह ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा लोकहित में है अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपी थानसिंह एवं रामवीर को भा0द0स0 की धारा 294, 323 एवं 506 भाग दो तथा आरोपी सूबासिंह को भा0द0स0 की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

> प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण

अभिलेखागार भेजा जावे। खण्डपीठ सदस्य. क.1

सही / –

Ф.2-

(प्रतिष्ठा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क्र0 21 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 ATTRICAL SHEETER STATE OF STAT

ATTACH PARTY PARTY